IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# लोकतांत्रिक विकास और सूचना का अधिकार: एक अध्ययन

**Bhim Singh Chandel,**

**Senior Research Fellow,**

**Department of Political Science,**

**Patna University, Patna**

**सारांश**

लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी सरकार से है जिसे लोगों द्वारा चुना जाता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या प्रतिनिधिक। यह शब्द "लोकतंत्र" [डेमो (लोग) और क्रेट्स (शासन)], प्राचीन ग्रीक भाषा में एथेनियन लोकतंत्र से आया है, जिसके मूल रूप से दो विशिष्ट विशेषताएँ हैं: सबसे पहले साधारण नागरिकों का सरकार के कार्यालयों और अदालतों में चयन और दूसरी नागरिकों की सभा। लोकतंत्र की दो आँखें जवाबदेही और पारदर्शिता हैं। लोग मालिक होते हैं और उनके पास सरकार के प्रदर्शन और व्यवसाय को देखने का अधिकार होता है। उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उन्हें कैसे शासित किया जा रहा है। गोपनीयता की चादर नागरिकों की दृष्टि को सरकार के कामकाज को देखने से रोकती है। वर्तमान परिदृश्य में ज्ञान सबसे मूल्यवान संसाधन बन गया है। भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग एक गैर-जवाबदेह शासन प्रणाली के अपरिहार्य परिणाम हैं। जब सूचना का अधिकार लोगों को दिया जाता है, तो यह भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम कर सकता है। सूचना का अधिकार खुली सरकार सुनिश्चित करने और लोगों को सशक्त बनाने का एक साधन है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधित सूचनाओं का खुलासा किया है ताकि नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके।

**मुख्यशब्द:-** सूचना के अधिकार की उत्पत्ति, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रावधान

## परिचय

बीसवीं शताब्दी तक, अधिकांश राज्यों में औपचारिक सेंसरशिप और सूचना का अधिकार नहीं था। निरंकुश शासक अक्सर आलोचकों को कैद में डालते थे, प्रक्रिया को बंद कर देते थे, लेखकों को निर्वासन में भेज देते थे, या लिखित और कलात्मक कार्यों पर सेंसरशिप लागू करते थे। 17वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के खिलाफ संघर्ष, अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स, और मानवाधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा ने स्वतंत्रता के मानकों का विस्तार किया, जिससे 19वीं और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से यूरोप में और दुनिया के अन्य हिस्सों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विचार के नए क्षेत्रों को प्रेरित किया।

अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता को सभी स्वतंत्रताओं में से सबसे मौलिक माना जा सकता है। जबकि एक स्वतंत्रता को दूसरी से अधिक मूल्यवान मानना संदिग्ध है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक बुनियादी नींव है। यह एक मुख्य स्वतंत्रता है जिसके बिना लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस शब्द में न केवल भाषण और मीडिया की स्वतंत्रता शामिल है, बल्कि विचार, संस्कृति और बौद्धिक जिज्ञासा की स्वतंत्रता भी शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को राज्य के हस्तक्षेप के बिना खुलकर बोलने और लिखने का अधिकार सुनिश्चित करती है, जिसमें अन्याय, अवैध गतिविधियों और अक्षमताओं की आलोचना करने का अधिकार भी शामिल है। यह जानने का अधिकार और जनता को सूचित करने का अधिकार सुनिश्चित करता है और किसी भी प्रकार की राय देने, परिवर्तन की वकालत करने, अल्पसंख्यक को सुने जाने और बहुमत बनने का अवसर देने और शब्दों की ताकत से राज्य के अत्याचार को चुनौती देने का अधिकार प्रदान करता है।

ऐसे शासन में राज्य ने न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जानने के अधिकार पर पूर्ण नियंत्रण रखा, बल्कि मीडिया का उपयोग नागरिकों के विचारों और रायों को प्रचार, विचारधारात्मक शिक्षा, निंदा और सामाजिक अनुरूपता के माध्यम से निर्देशित करने के लिए भी किया। नाजी जर्मनी की हार के बाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन मुख्य स्वतंत्रताओं में शामिल हो गई जो अब सार्वभौमिक मानकों के रूप में संरक्षित हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में अपने प्रारंभ से ही सूचना के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। आज, हम एक सूचना आधारित समाज में जी रहे हैं। सूचना तक पहुंच व्यक्तियों और संस्थानों दोनों के लिए अपरिहार्य हो गई है। सूचना क्रांति आज संचार और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से इंटरनेट, वेबसाइटों और ईमेल के माध्यम से, आम लोगों के दरवाजे तक लाई गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन, हमें सहभागी लोकतंत्र के विकास की ओर ले जाने वाले एक नए युग की शुरुआत की है। इसने सार्वजनिक भावना वाले व्यक्तियों, एनजीओ, बौद्धिकों के बीच बहस की श्रृंखला शुरू की है और आम जनता को भी प्रेरित किया है। सूचना का अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अनुच्छेद 19(1)(a) जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, को सूचना के अधिकार का आधार माना जाता है। वास्तविक रूप से लोकतंत्र के लिए जनता को एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है।

अब्राहम लिंकन ने अपने प्रसिद्ध गेटिसबर्ग भाषण में कहा था कि "लोकतंत्र लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा सरकार है"। इस संदर्भ में, डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा की बहस के दौरान लोकसभा में कहा कि लोग इस अवधारणा से थक चुके हैं कि यह लोगों की और लोगों के लिए है और वे वास्तव में लोगों द्वारा सरकार चाहते हैं। इस सिद्धांत को केवल एक सूचित नागरिकता द्वारा साकार किया जा सकता है।

लोकतंत्र की वैचारिक जड़ें 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 23 और 25 में और भारतीय संविधान के भाग III और भाग IV में निहित हैं। इस संदर्भ में, सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में संवैधानिक ढांचे का हिस्सा है। इस अधिकार का स्पष्ट अभ्यास संविधान के भीतर इसकी व्युत्पन्न और निहित स्थिति के कारण संभव नहीं था। इससे नागरिकों को उपलब्ध अधिकार का आनंद लेने के लिए विशिष्ट विधेयक की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए नागरिकों को अधिकार के रूप में जानकारी प्रदान करने और सूचना के अधिकार के लिए एक जलवायु और संस्कृति बनाने के लिए तत्काल एक विशिष्ट विधेयक की आवश्यकता थी। इसी संदेश की गूंज केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जस्टिस मैथ्यू के न्यायिक विवेचन में इन प्रमुख शब्दों में प्रकट हुई: "मौलिक अधिकारों का कोई स्थिर सामग्री नहीं है; उनमें से अधिकांश खाली बर्तन हैं जिनमें प्रत्येक पीढ़ी को अपने अनुभव के प्रकाश में इसकी सामग्री भरनी चाहिए।"

2005 तक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धारण की गई जानकारी तक पहुंच संभव नहीं थी। जानकारी की कमी ने एक व्यक्ति को उसकी सामाजिक - आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने से रोक दिया, क्योंकि उसके पास बहस में भाग लेने या निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाने का कोई आधार नहीं था, भले ही यह उसे नुकसान पहुंचा रहा था। आधिकारिक गुप्त अधिनियम, 1923 उपनिवेशवाद के अवशेष के रूप में गोपनीयता की चादर ओढ़े हुए था। आम जनता को सार्वजनिक नीतियों और व्ययों के बारे में जानने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। यह काफी विडंबनापूर्ण था कि लोगों ने नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया और सार्वजनिक गतिविधियों की भारी लागत को वित्तपोषित करने में योगदान दिया लेकिन उन्हें संबंधित जानकारी तक पहुंच से वंचित कर दिया गया।

इस गोपनीयता की संस्कृति ने भ्रष्टाचार की प्रचुर वृद्धि का परिणाम दिया। सार्वजनिक प्राधिकरणों की गैर-जवाबदेही और सरकार के कार्यों में खुलेपन की कमी के कारण, सत्ता का दुरुपयोग और सार्वजनिक धन का अनुचित विचलन दिन का क्रम था। ऐसी स्थिति में, जनता और विभिन्न एनजीओ ने सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा धारण की गई जानकारी तक अधिक पहुंच की मांग की। सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू करके उनकी मांग को स्वीकार कर लिया।

**सूचना का अधिकार का उद्गम:-**

वैश्विक दृष्टिकोण 21वीं सदी में दुनिया ने विश्व मामलों की विभिन्न संस्कृतियों की समझ, विश्लेषण और संदर्भ में कई कदम और दृष्टिकोण में बदलाव दर्ज किए हैं। सूचना का अधिकार (RTI), जो इस चर्चा का केंद्र बिंदु है, कोई नई बात नहीं है। वास्तव में, इस अधिकार की प्राप्ति और इसे प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लंबा इतिहास है। मानव आदर्शों के विकास और अधिकांश सभ्य देशों में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना के साथ, यह विषय प्रमुखता से सामने आया। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और क्षेत्रीय समूहों ने इस अधिकार को अपने सिस्टम का हिस्सा माना है।

## स्वीडन में स्थिति

स्वीडन द्वारा 1766 में पारित स्वीडिश सूचना की स्वतंत्रता कानून (मूल शब्द का शाब्दिक अनुवाद प्रिंटिंग एक्ट की स्वतंत्रता दर्शाता है) को RTI की सबसे पुरानी और प्रारंभिक विधायी मान्यता माना जाता है। इस कानून को स्वीडन द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद बड़ी संख्या में देशों ने इस लाइन का अनुसरण किया और सूचना की पहुंच के लिए कानून बनाए। उदाहरण के लिए, 1950 में फिनलैंड, 1950 में डेनमार्क, 1970 में नॉर्वे और 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसे कानून बनाए ताकि सूचना की पहुंच को सुविधाजनक बनाया जा सके। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों पर चर्चा करने से पहले, आइए पहले दुनिया के दो सबसे विकसित लोकतंत्रों अमेरिका और इंग्लैंड में RTI की स्थिति का विश्लेषण करें। यह विश्लेषण बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था और अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है।

यूनाइटेड किंगडम में स्थिति भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और कई कानून उस समय की रचना हैं, इसलिए इंग्लैंड में स्थिति को देखना बहुत स्वाभाविक है। लोकतंत्र इंग्लैंड का बुनियादी सिद्धांत रहा है, लेकिन 'गोपनीयता' को पारदर्शिता के बजाय महत्व दिया जाता है। यह नीति को पारदर्शी बनाने के बजाय उसे गुप्त रखने की विधायिका और कार्यपालिका की अंतर्निहित प्रवृत्ति के कारण है। इंग्लैंड ने 2005 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया है। लेकिन मूल रूप से, वर्तमान कानून 1911, 1920, 1939 के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियमों में निहित है। इंग्लैंड में न्यायपालिका ने सरकार में पारदर्शिता को मंजूरी दी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक निर्णय में जहां इसने किसी भी दस्तावेज़ के प्रकटीकरण का आदेश देने के अपने अधिकार क्षेत्र को स्थापित किया, इसी का प्रतिबिंब है। इस मामले में अदालत ने क्राउन विशेषाधिकार को अस्वीकार कर दिया। इस मामले का निर्णय करते हुए न्यायमूर्ति लॉर्ड रीड ने कहा कि “दस्तावेज़ को मामले का निर्णय लेने के लिए अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यह माना कि यह क्राउन विशेषाधिकार नहीं है बल्कि यह सार्वजनिक हित विशेषाधिकार है।” हालाँकि, यह भी जोर दिया गया कि गोपनीयता और सार्वजनिकता के परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पूरे दस्तावेज़ वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज़ के रूप में नहीं माना जा सकता और पहली बार दस्तावेज़ को दो भागों में वर्गीकृत किया: वर्ग दस्तावेज़ को विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज़ के रूप में और सामग्री दस्तावेज़ को गैर-विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज़ के रूप में।

लोकतांत्रिक समाज में सरकारी मामलों की "पारदर्शिता" की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, फ्रैंक्स समिति ने 1911 अधिनियम की धारा 2 को निरस्त करने और इसके स्थान पर आधिकारिक सूचना अधिनियम के प्रतिस्थापन की सिफारिश की। यूनाइटेड किंगडम ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2000 पारित किया है। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने अब ऐसे कानून बनाए हैं। अंग्रेजी कानून में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व एक मामले में लॉर्ड स्टीन के अवलोकन से पता लगाया जा सकता है जो निम्नानुसार है: "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का जीवनदायिनी है। जानकारी और विचारों का मुक्त प्रवाह राजनीतिक बहस को सूचित करता है। यह एक सुरक्षा वाल्व है; लोग अधिक तैयार रहते हैं उन निर्णयों को स्वीकार करने के लिए जो उनके खिलाफ जाते हैं यदि वे सैद्धांतिक रूप से उन पर प्रभाव डालने की कोशिश कर सकते हैं। यह सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश के रूप में कार्य करता है। यह देश के शासन और न्याय प्रशासन में त्रुटियों के खुलासे को सुगम बनाता है।"

**संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थिति**

भारत और अमेरिका एक बात में बहुत समान हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना। अमेरिका और लोकतंत्र आम तौर पर पर्यायवाची हैं। अमेरिका स्पष्ट रूप से इसे उन कई लोकतांत्रिक अधिकारों का मशाल वाहक घोषित करता है जो एक सच्चे लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा होना चाहिए। सूचना के प्रावधान पर भी यही लागू होता है। अतः अंतर्निहित गोपनीयता के प्रति प्रतिकूलता अमेरिकी लोगों द्वारा प्रदर्शित एक आश्चर्यजनक गुण नहीं है। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 1966 और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम, 1946 दो मुख्य क़ानून हैं जो सूचना का अधिकार प्रदान करते हैं। अमेरिका का संविधान विशेष रूप से सूचना का अधिकार नहीं बताता है। हालाँकि, इस अधिकार को प्रथम संशोधन स्वतंत्रताओं का सहायक माना जाता है। एक क़ानून की धारा को प्रथम संशोधन अधिकारों के बिना रोक-टोक अभ्यास पर प्रतिबंध माना गया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया। इसी तरह स्टैनली में भी ऐसा ही था।

**भारत में सूचना का अधिकार को सक्षम बनाने वाले संवैधानिक प्रावधान:-**

आधुनिक संवैधानिक दस्तावेजों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों के घोषणापत्र में मौलिक अधिकारों को लागू करने योग्य अधिकारों के रूप में शामिल करना प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से उत्पन्न होता है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के समय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीय लोगों से वादा किया था कि वे संविधान, जिसे "सुप्रमा लेक्स" कहा जाता है, के माध्यम से प्राकृतिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान करेंगे। ये मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में घोषित मानवाधिकारों के समान हैं। इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने चेयरमैन, रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिमा दास में कहा कि "मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और उसके सिद्धांतों की प्रयोज्यता को, यदि आवश्यक हो, तो घरेलू न्यायशास्त्र में पढ़ना होगा।" यह उन घटनाओं का पता लगाता है जिन्होंने 2005 अधिनियम के पारित होने को तेज किया, जिसने हमारे देश के नागरिकों को शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान किया।

अधिकार वे हित हैं जिन्हें कानून द्वारा मान्यता और सुरक्षा प्राप्त होती है। किसी अधिकार की पवित्रता तब बढ़ जाती है जब इसे किसी देश के संविधान द्वारा अपनाया जाता है। भारतीय संदर्भ में, जहां आम लोग सदियों से उपेक्षा के शिकार थे, संवैधानिक सिद्धांत ही एकमात्र आशा है जो सभी प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकती है। सूचना लोगों को ज्ञानवान बनाकर उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, भारत जैसे विकासशील देश में सूचना प्राप्त करना एक कठिन कार्य है, जिसे अधिकांश कम शिक्षित और अनपढ़ नागरिक अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होने के कारण पूरा कर पाते हैं। लालफीताशाही और नौकरशाही की श्रेष्ठता लोगों को सशक्त बनाने में अत्यधिक हिचकिचाहट दिखाती है। इसके अलावा, गोपनीयता की नीति से परिपूर्ण औपनिवेशिक विरासत अभी भी प्रणाली को प्रभावित करती है। यहां भारत का संविधान आम जनता को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करके उनकी रक्षा के लिए आता है, जो भाग III में निहित हैं। इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना आसान नहीं है सिवाय इसके कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के, जो

संविधान की भावना के अनुरूप होनी चाहिए। इसी प्रकार, RTI एक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के भीतर समाहित है। हालाँकि, भारतीय संविधान विभिन्न प्रमुख लोकतंत्रों के प्रावधानों को शामिल करता है, यह मुख्य रूप से 1935 के भारत सरकार अधिनियम की आधारशिला पर आधारित है। इसलिए, शासन प्रणाली कई पुराने अवशेषों से मुक्त नहीं है जो लोगों तक सूचना के मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है।

गोपनीयता की अनुमति देने वाले विभिन्न विधायी प्रावधान भारत में कुछ ऐसे कानून हैं जो गोपनीयता की अनुमति देते हैं लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद इनमें से कुछ का प्रभाव प्रमुख है। ये विधायिकाएं निम्नलिखित हैं:

- **आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923**
- **केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 11**
- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124**
- **मंत्रिपरिषद की सलाह को गोपनीय बनाए रखना**
- **अदालतों से दस्तावेज़ रोकने का विशेषाधिकार**
- **संविधान के तहत शपथ**
- **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962**
- **जांच आयोग अधिनियम, 1952**
- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 और वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 52 जिसमें कहा गया है कि किसी उद्यम से संबंधित जानकारी, जो आयोग के द्वारा या उसकी ओर से पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्राप्त की गई हो, का प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा, इस तरह की तकनीकों के उदाहरण हैं।**

सूचना का अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद 19 (1) (a) से व्युत्पन्न है। अर्थात्, यह संवैधानिक ढांचे के भीतर निहित है। हालाँकि, न्यायपालिका ने कई महत्वपूर्ण मामलों में स्पष्ट रूप से RTI को अनुच्छेद 19 (1) (a) का स्वाभाविक सहायक माना है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण मामलों को देखें जिनमें न्यायाधीशों की न्यायिक व्याख्या के कारण RTI को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। न्यायिक सक्रियता ने अनुच्छेद 19 (1) (a) से एक मूर्ति का निर्माण किया है - जो लोकतंत्र की आधारशिला है। एक गहन विश्लेषण के बाद यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि संवैधानिक दायरे में RTI की प्राप्ति की दिशा 1957 में हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ के निर्णय से ही शुरू हो गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 (1) (a) का हिस्सा घोषित किया, जहां उसने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी 1972-1973 के न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के खिलाफ अल्ट्रा वायर्स माना। मुख्य न्यायाधीश रे ने बहुमत के निर्णय में कहा, "यह निर्विवाद है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ सभी नागरिकों का बोलने, प्रकाशित करने और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता लोगों के पढ़ने के अधिकार को समाहित करती है।" यहां 'पढ़ने के अधिकार'

का संदर्भ पाठकों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार से है। दिनेश त्रिवेदी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार से संबंधित मामले की सुनवाई की। इस अधिकार के महत्व पर जोर देते हुए, न्यायालय ने कहा, "लोकतंत्र पारदर्शिता की अपेक्षा करता है और पारदर्शिता एक मुक्त समाज का सहवर्ती है और सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है।" इस मामले में, वोहरा समिति की रिपोर्ट के प्रकटीकरण के सवालों पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर सहभागितापूर्ण लोकतंत्र में खुले शासन के महत्व को स्वीकार किया।

**निष्कर्ष:-**

मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति वी. कृष्ण अय्यर ने कहा कि “एक सरकार जो गुप्त रूप से कार्य करती है, न केवल लोकतांत्रिक शिष्टाचार के खिलाफ कार्य करती है, बल्कि अपने ही दफन के साथ खुद को दफन कर देती है।” एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की सीधी भागीदारी होनी चाहिए। यह भागीदारी तब तक निरर्थक है जब तक नागरिक उन मुद्दों के सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से सूचित न हों, जिन पर उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। एकतरफा जानकारी, गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी और गैर-जानकारी सभी समान रूप से एक अज्ञानी नागरिकता का निर्माण करती हैं जो लोकतंत्र को एक तमाशा बना देती हैं, जब जानकारी का माध्यम या तो एक पक्षपाती केंद्रीय प्राधिकरण या निजी व्यक्तियों या अल्पतांत्रिक संगठनों द्वारा एकाधिकार किया जाता है। इसलिए इस एकाधिकार से बचने के लिए सरकार का कर्तव्य है कि वह देश के लोगों को जानकारी दे क्योंकि सरकार लोगों का विश्वास है। इस संदर्भ में, हेनरी क्ले ने सही कहा कि "सरकार एक ट्रस्ट है और सरकार के अधिकारी ट्रस्टी हैं और ट्रस्ट और ट्रस्टी दोनों लोगों के लाभ के लिए बनाए गए हैं।" हर लोकतंत्र के लिए एक सूचित नागरिकता और सूचना की पारदर्शिता आवश्यक होती है जो उसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और सरकारों और उनके उपकरणों को शासितों के प्रति जवाबदेह ठहराने के लिए भी आवश्यक है। सार्वजनिक अधिकारियों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार का व्यावहारिक शासन स्थापित करने और प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आरटीआई एक अंतर्निहित अधिकार है। कोई भी लोकतंत्र तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिक सरकारी व्यवसाय, नौकरशाहों और राज्य की ओर से कार्य करने वाले अन्य पदाधिकारियों के प्रदर्शन का ऑडिट नहीं कर सकते। सरकार के प्रदर्शन का ऑडिट करने के लिए लोगों को इसकी नीति, कार्यों और असफलताओं की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। एक सूचित नागरिकता वास्तविक और सहभागी लोकतंत्र के लिए पूर्व शर्त है।

**References:-**

1. Kumar Dr. Niraj, Treatise on Right to Information Act, 2005, Bharat Law House, New Delhi (2007). Chandra Dr. U. Human Rights, Allahabad Law Agency Publications, Allahabad, Edition (2007)
2. Rao Prof. (Dr.) S .V. loge, Law Relating to Right to Information, 1st Edition (2009)
3. S.A.D. Smith: Constitution and Administrative Law (3rd Edition)
4. Harsh Mander and Abba Singhal joshi, "The Movement for Right to Information".
5. Shukla V.N., Constitution of India, Eastern Book Company, Lucknow, 10th Edition. Rodney D. Ryder, Right to Information, 38-44 (2006)
6. Das P.K. Handbook on the Right to Information Act, 2005, Universal Publication, (2005) Edition. Sathe S.P., Right to Information, Lexis Nexis Butterworths, 1st Edition (2006)
7. Sathe S.P., Administrative Law, Seventh Edition. Jain M.P., Constitution of India, 8th Edition (2008)
8. Justice Y. K. Sabharwal, "Right to Information and Good Governance", Vol VIII, Issue 4, Nyayadeep Sathe S. P., Right to Information, Lexis Nexis Butterworths.
9. Das P. K., Handbook on the Right to Information Act, 2005, Universal Publication, 2005 Edition. Shukla V N., Constitution of India, Eastern Book Company, Lucknow, and 10th Edition.
10. S.D. Sharma and Priti Saxena, Right to Information, Implementation Problems and Solutions, 2013. Freedom of Infor mation Act, 2002